न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर०ए०एस

मुकदमा नं0 27/2023

1. रघुराजसिंह पुत्र मालूसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी जोबनेर तह0 जोबनेर
3. रूकमणी पत्नि हनुमान भीण्डा जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी का रास्ता जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. कोठयारी पुत्र काना उर्फ कान्हा
2. नानु पुत्र काना उर्फ कान्हा
3. हुक्मा कोठयारी पुत्र काना उर्फ कान्हा

समस्त जाति कुमावत नि0 माच्छरखानी, तह0 जोबनेर

अप्रार्थीगण

4. गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह
5. भंवर कंवर पुत्री मालू सिंह (नाम हजफ)
6. मन्जुला कुमारी पत्नि नीतेन्द्र सिंह (नाम हजफ)
7. विजेन्द्र सिंह पुत्र राजसिंह

समस्त जाति राजपुत नि0 भुतियो का मोहल्ला जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

8. नमन पुत्र ज्योती शर्मा उर्फ मोन्टू जरिये वलि पिता ज्योति शर्मा पुत्र प्रेमशंकर
9. सूरज देवी पुत्री हनुमान भीण्डा

समस्त जाति ब्राहम्ण नि0 टिक्ली वालो का रास्ता किशन पोल बाजार जयपुर जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर०टी०ए० एक्ट

उपस्थितिः— 1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री सुरेश शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1 व 3
3. श्री दीपक शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 8
4. श्री इलियास बाबू वकील अप्रार्थी सं0 9

दिनांक :— 23.08.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर०टी० एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1579 रकबा 6.3984 एवं

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

ख0न0 1578 रकबा 4.7166 हे0 वाके ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 1577/2 रकबा 0.3667 हे0 वाके ग्राम माच्छरखानी में वैकल्पिक रास्ता बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में खसरा नंबर 1577/2 के खातेदार ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी ख0न0 1579,1578 मे आने जाने के लिए कोई रास्ता नही रहा। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए व मवेशियो को लाने लेजाने के लिए खसरा नंबर 1577/2 रकबा 0.3667 हे0 वाके ग्राम माच्छरखानी में से मार्क ए से बी 20 फुट चौडाई के नये मार्ग की आवश्यकता है। तथा मार्क बी से सी रास्ता निकालने एवं राजस्व रिकोर्ड नक्शे मे दर्ज कराने के लिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 4लगा09 सहमत है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1577/2 मे से 20 फुट चौडाई मार्क ए से बी एवं बी से सी को रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,4,7 के विरूद्ध बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 1व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 9 की ओर से अधिवक्ता श्री इलियास बाबू उपस्थित। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी सं0 5 व 6 का नाम दिनांक 16.05.2024 को हजफ किया गया। उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया गया।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 24.07.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश प्रार्थी के पास अन्य वैकन्पिक रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगणो द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि ख0न0 1579 के लिए 1577/2 रकबा 0.3667 की दक्षिणी सीमा व 1578 रकबा 4.7166 मे (ख0न0 1577/2 की दक्षिणी पूर्वी सीमा से 1579 की दक्षिणी पश्चिमी) से लगता हुआ 20 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख0न0 1598 रकबा 1.2519 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त रास्ता माच्छरखानी से लाल बेरा की ढाणी तक जाता है जो मौके पर ग्रेवल सडक चालू रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते से लगवा ख0न0 1577/2 की दक्षिणी सीमा जिसमे नजरी नक्शे मे ए से बी बिन्दू दर्शाया है जिसकी लम्बाई 63 मी0 है। व ख0न0 1578 मे जिसको नजरी नक्शे मे सी से डी दर्शाया है जिसकी लम्बाई 79 मी0 है। जो की प्रार्थी के ख0न0 1579 तक जाता है कुल रास्ते की लम्बाई 63+79 =142 मीटर होती है ख0न0 1578 के खातेदार रास्ते हेतु सहमत है प्रार्थीगण पूर्व मे इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे थे वर्तमान मे ख0न0 1577/2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

के खातेदारो द्वारा तारबन्दी व कंटीली झाडियों द्वारा उक्त रास्ते से बंद कर दिया है। ग्राम माच्छरखानी के ख0न0 1637 गै0मु0 रास्ता है उक्त रास्ते मे ख0न0 1581 मी0 उतरी सीमा 280 मी0 व 1580 मी0 उतरी सीमा के लगते हुए 152 मी0 कुल 280+152 =432 मीटर वैकल्पिक रास्ता जिसमे नजरी नक्शे मे ई से एफ दर्शाया गया है। ग्राम माच्छरखानी के ख0न0 1598 गै0मु0 रास्ता है उक्त रास्ते मे ख0न0 1586 की उत्तरी सीमा 49 मीटर व 1578 के बीच से (ख0न0 1575 की दक्षिणी पश्चिमी) होते हुए 95 मी0 कुल 49+95 =144 मी0 वैकल्पिक रास्ता जिसको नजरी मे जी से एच दर्शाया गया है। उक्त वैकल्पिक रास्तो की लम्बाई चाहे गये रास्ते से अधिक है। वर्तमान मे वादी के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है रास्ते की आवशयकता जरूरी है। चाहे गये रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण मे प्रभावित नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि ख0न0 1577/2 पर खातेदारो का बैंक के पक्ष मे रहन दर्ज है। ख0न0 1578 पर किसी बैंक या संस्था का रहन दर्ज नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है। चाहा गया रास्ता की भूमि 1577/2, 1578 में से है 1577/2 मे बिन्दु ए से बी 63 मी0 ख0न0 1578 बिन्दु सी से डी 79 मी0 है कुल लम्बाई 142 मी0 है। चाहे गये रास्ते का रकबा ख0न0 1577/2 मे 63 गुणा 6.0975 (चौडा) = 384वर्ग मी0 रकबा 0.0384 है0 व ख0न0 1578 मे 79गुणा 6.0975 मी0 = 482वर्ग मी0 रकबा 0.0482 है0 रकबा है। कुल रास्ते की दुरी 142 मी0 व 866 वर्ग मी0 व रास्ते का क्षेत्रफल 0.0866 है0 होता है। जिसकी नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो को नोटिस देकर तैयार की गई है।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो का दोहरान किया तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की वहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1578,1579 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1577/2 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1578,1579 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1577/2 से रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1577/2 से शुरू होकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1578,1579 तक है, खसरा नं0 1577/2 किस्म बारानी 1 रकबा 0.03667 राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1लगा0 3 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

1577/2 मे 63 मीटर एवं चौडाई 6.0975 मीटर है तथा ख0न0 1578 मे 79 मी0 लम्बाई एवं 6.0975 मी0 चौडाई है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 1577/2 से ही उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आ.0ख0नं0 1577/2 एवं 1578 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी लम्बाई ख0न0 1577/2 मे 63 मीटर एवं ख0न0 1578 मे 79 मी0 एवं चौडाई 6.0975 मीटर है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 1579 तक आराजी खसरा नम्वर 1577/2 में से होकर 63 मी0 लम्बा एवं 6.0975 मीटर चौडा रकबा 0.0384 है0 तथा ख0न0 1578 मे से 79 मी0 लम्बा एवं 6.0975 मी0 चौडा रकबा 0.0482 है0 रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ख0न0 1577/2 मे से दर्ज किये जाने वाले रास्ते (रकबा 0.0384 है0) के बदले ख0न0 1577/2 की पूर्व दिशा के लगवा (रास्ता की भूमि छोडते हुए) ख0न0 1578 के खातेदारो द्वारा रकबा 0.0384 है0 भूमि ख0न0 1577/2 के खातेदारो को दिया जाता है। ख0न0 1578 मे से दर्ज किए जाने वाले रास्ते(रकबा 0.0482 है0) के बदले ख0न0 1578 की उत्तरी पूर्वी सीमा के लगवा (रास्ता की भूमि छोडते हुए) ख0न0 1579 के खातेदारो द्वारा ख0न0 1578 के खातेदारो को दिया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दिनांक 24.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 1577/2 एवं 1578 मे कुल लम्वाई 63+79 मीटर लम्बा एवं 6.0975 चौडाई का सिवायचक गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2024 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)